छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित,
ए-25, वी.आई.पी.एस्टेट, वी.आई.पी. क्लब के पास, खम्हारीडीह, शंकर नगर, रायपुर
दूरभाष- 4065100 से 4065110 फैक्स - 2283594
ई-मेल : cgmfpfed@sancharnet.in
वेबसाइट : www.cgmfpfed.org

अधिसूचना क्रमांक संघ/गोंद/2009-10/6 दिनांक 28.01.2010

# छत्तीसगढ़ में वर्ष 2009-2010 संग्रहण काल में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग दो (धावड़ा, खैर, बबूल) के अग्रिम विक्रय हेतु

# निविदा सूचना

**प्राक्कथन**

- छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, (जिससे इसके पश्चात् शासन कहा गया है), ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर, (जिससे इसके पश्चात् संघ कहा गया है), को राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में गोंद वर्ग एक/गोंद वर्ग दो के संग्रहण, क्रय एवं व्यापार हेतु, छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 4 के अंतर्गत अभिकर्ता नियुक्त किया है,
- शासन के द्वारा वर्ष 2009-2010 सीजन में संघ को अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए प्रदेश की प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्थाओं (जिससे इसके पश्चात प्राथमिक समिति कहा गया है), जिनमें राज्य शासन एक अंशधारक है, के पर्यवेक्षण में संबंधित गोंद वर्ग एक/गोंद वर्ग दो की इकाईयों (जिसे इसके पश्चात् इकाई कहा गया है), में गोंद वर्ग एक/गोंद वर्ग दो का, जिला वनोपज सहकारी यूनियन (जिसे इसके पश्चात जिला यूनियन कहा गया है), के पर्यवेक्षण में, संग्रहण कराने के निर्देश दिए गए हैं,
- शासन के आदेशानुसार, संग्राहकों द्वारा संग्रहण केन्द्र पर (अ) शासकीय वन भूमि से तथा (ब) निजी गोंद वर्ग एक/गोंद वर्ग दो उत्पादक क्षेत्र द्वारा लाए गए गोंद वर्ग एक/गोंद वर्ग दो के लिए, राज्य शासन द्वारा निर्धारित क्रमशः (अ) प्रति क्विंटल की संग्रहण दर (मजदूरी) तथा (ब) प्रति क्विंटल का क्रय मूल्य, तत्संबंधित इकाई के लिए नियुक्त अधिकृत केता के द्वारा स्वयं भुगतान कर प्राथमिक समितियों के पर्यवेक्षण व नियंत्रण में गोंद वर्ग दो संग्रहित किया जायेगा तथा गोंद का उपचारण, परिवहन एवं गोदामीकरण आदि उसके स्वयं के व्यय पर किया जावेगा ।

अतएव अब संघ उक्त गोंद वर्ग दो के क्रय के लिए इच्छुक व्यक्तियों/पंजीकृत फर्मों / विविध कंपनियों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है ।

परिशिष्ट-I
(निबंधन एवं शर्तें)

**2. परिभाषायें, निविदा के निबंधन एवं शर्तें निविदाकार के लिए निर्देश -**

इस सूचना, इसकी अनुसूची एवं इसके विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये विभिन्न शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो परिशिष्ट-I में सम्मिलित "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकार के लिए निर्देश", में दिए गए अनुसार होंगी । ये "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकार के लिए निर्देश" इस निविदा सूचना के अभिन्न अंग हैं और यह समझा जावेगा कि इस सूचना में समस्त प्रयोजनों के लिये सम्मिलित हैं ।

### 3. इकाई सूची एवं करार अवधि -

अनुसूची (गोंद वर्ग एक/गोंद वर्ग दो की इकाई सूची)

विभिन्न समितियों से संग्रहित/क्रय की जाने वाली मात्रा के एवं इस सूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित गोंद वर्ग दो की इकाइयों के क्रय के लिये दिनांक 30.08.2010 को समाप्त होने वाली करार अवधि के लिये एतद् द्वारा निविदायें आमंत्रित की जाती है ।

### 4. निविदा पत्र आदि -

परिशिष्ट-II (निविदा पत्र)
परिशिष्ट-III (निविदाकार करारनामा)

(I) निविदा पत्र तथा निविदाकार का करारनामा संघ की ऊपर दर्शित वेबसाइट से भी प्राप्त किये जा सकते हैं । उपरोक्त रीति द्वारा प्राप्त निविदा पत्र प्रस्तुत करते समय उसके साथ रुपये 100/- का, किसी भी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट, जो कि प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ के पक्ष में संघ मुख्यालय पर देय हो, संलग्न करना होगा ।

(II) निविदाकार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने निविदा पत्र के साथ निविदाकार का करारनामा प्राप्त कर लिया है क्योंकि निविदा के साथ सम्यक् रुप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा संलग्न करना अनिवार्य है । आवश्यक समस्त अभिलेख डाउनलोड करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का है ।

### 5. निविदाओं का प्रस्तुतिकरण -

(I) सभी दृष्टियों से पूर्ण निविदा एक मुहरबंद लिफाफे में, जिस पर निम्न विवरण एवं पता लिखा होगा, रखी जावेगी ।

**वर्ष 2009-2010 में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग दो के अग्रिम क्रय करने हेतु निविदा ।**

निविदा खोलने की तिथि 17.02.2010
(निविदा अधिसूचना क्रमांक संघ/गोंद/2009-10/6 दिनांक 28.01.2010)

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, ए-25, वी.आई.पी.एस्टेट,
वी.आई.पी.क्लब के पास, खम्हारडीह, शंकर नगर,
रायपुर - 492007

प्रेषक,

निविदाकार का नाम - ..........................................
पता - ........................................................

(II) निविदा पत्र अन्तर्धारित करने वाला लिफाफा प्रबंध संचालक, संघ को अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति को सम्यूक अभिस्वीकृति प्राप्त करके दिया जा सकेगा या पावती पंजीकृत डाक द्वारा उसको इस प्रकार भेजा जा सकता है ताकि वह दिनांक 17.02.2010 को 16.00 बजे तक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर - 492007 कार्यालय में प्राप्त हो जावे । सार्वजनिक अवकाश घोषित होने पर भी निविदायें इस तिथि को प्राप्त की जावेंगी ।

**6. निविदाओं का खोला जाना -**

प्रबंध संचालक, संघ कार्यालय में प्राप्त निविदायें दिनांक 17.02.2010 को 16.30 बजे से ऐसे निविदाकारों के समक्ष जो उपस्थित हो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, ए-25, वी.आई.पी.एस्टेट, वी.आई.पी.क्लब के पास, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर - 492007 के कार्यालय में प्रबंध संचालक संघ द्वारा गठित समिति द्वारा खोली जावेंगी भले ही निविदाएं खोले जाने वाले दिनों को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया हो ।

**7. क्रेता करारनामा का निष्पादन -**

(I) सफल निविदाकार का प्रस्ताव तार एवं/अथवा पत्र जारी कर स्वीकार किया जावेगा और ऐसी स्वीकृति जारी होने पर सम्बंधित गोंद वर्ग एक/गोंद वर्ग दो की इकाई के क्रय की संविदा निविदाकार और संघ के बीच अस्तित्व में आ गई मानी जावेगी एवं निविदाकार इकाई का क्रेता माना जावेगा ।

**परिशिष्ट-IV**
**(क्रेता का करारनामा)**

(II) सफल निविदाकार को, उसके प्रस्ताव की संघ द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के 15 दिन के अन्दर, प्रत्येक इकाई के लिए परिशिष्ट (IV) (क्रेता का करारनामा) में दिये गये प्रपत्र में करारनामा प्रबंध संचालक, जिला यूनियन अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति के समक्ष निष्पादित करना होगा। निविदाकार के द्वारा 2000/- रूपये बतौर फीस जमा किये जाने पर इस अवधि में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के द्वारा 7 दिन की वृद्धि की जा सकेगी । इस प्रकार 15वां दिन/7वां दिन यदि सार्वजनिक अवकाश रहता है तो करारनामा निष्पादन आगामी कार्य दिवस में किया जा सकेगा। 15 दिन/7 दिन की अवधि की गणना संघ मुख्यालय से आदेश जारी होने की तिथि के आगामी दिन से की जावेगी ।

(III) करारनामे के निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में क्रेता की नियुक्ति प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निरस्त की जा सकेगी और ऐसे निरस्तीकरण पर सम्बंधित इकाई के क्रय मूल्य के 10% की राशि सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर ली जायेगी और वन संरक्षक द्वारा निविदाकार को ऐसी अवधि के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा जो 3 वर्ष तक हो सकती है । इसके अतिरिक्त यदि इकाई/इकाईयों, जिनके लिये क्रेता की नियुक्ति निरस्त की गई है, के पश्चात्वर्ती निर्वर्तन पर संघ को हुई हानि, यदि कोई हो, क्रेता को वहन करनी होगी और यदि ऐसी हानि की रकम क्रेता के द्वारा, उसको इस संबंध में जारी की गई मांग सूचना के 15 दिन के अन्दर, जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे भू राजस्व के बकाया बतौर वसूली योग्य होगी, परन्तु यदि ऐसे पश्चात्वर्ती निर्वर्तन में क्रय मूल्य से अधिक राशि प्राप्त होती है तो क्रेता का इस अधिक राशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा ।

**8. देय राशि का भुगतान-**

**(अ)** शासन द्वारा स्वीकृत संग्रहण दर से क्रेता स्वयं अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रबंध संचालक जिला यूनियन के द्वारा निर्धारित संग्रहण केन्द्रों पर ही संग्रहणकर्ताओं को भुगतान कर गोंद वर्ग दो संग्राहकों से प्राप्त करेगा ।

**(ब)** क्रय मूल्य की शेष राशि एवं स्वीकृत निविदा दर पर करों/उपकरों की पूर्ण राशि प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को संग्रहण तिथि के 15 दिवस में करने के उपरांत ही क्रेता संग्रहण केन्द्र से गोंद वर्ग दो परिवहन कर सकेगा ।

**9. गोंद वर्ग दो का परिवहन/निकासी -**

देय राशि के भुगतान के उपरांत गोंद वर्ग दो का परिवहन/निकासी परिशिष्ट-I एवं IV में दिये गये प्रावधानों के अनुसार होगा ।

**10. परिशिष्ट -**

परिशिष्ट-I से IV जिनका कि सन्दर्भ उपर दिया गया है जो की संघ की अधिसूचना क्रमांक संघ/गोंद/2009-10/I दिनांक 18.05.2009 के साथ संलग्न है, समस्त प्रयोजनों के लिये इस निविदा सूचना के परिशिष्ट है उनको संदर्भ के लिये देखें ।

**11. निबंधनों एवं शर्तों का स्वीकार करना -**

इस निविदा के संदर्भ में निविदा प्रस्तुत करने के कार्य को निविदा सूचना की शर्तों तथा परिशिष्ट- I में दिये गये निबंधनों एवं शर्तों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा ।

**12. क्रेता करारनामा निष्पादन न किये जाने अथवा करारनामा समाप्त होने की दशा में**

हानि की राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी -

संबंधित निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां ।

14. यदि कोई क्रेता शासन/संघ के विरूद्ध अदालत में जाता है तथा निर्णय शासन/संघ के पक्ष में होता है तो क्रेता अदालती कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये जिम्मेदार होगा, इसकी वसूली क्रेता से ब्याज सहित की जावेगी ।

**13. हिन्दी रूपान्तरण प्राधिकृत पाठ -**

इस सूचना का तथा इसकी अनुसूची एवं परिशिष्टों का हिल्दी रूपान्तरण सभी प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत पाठ समझा जावेगा ।

**प्रबंध संचालक**
**छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)**
**सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर - 492007**